मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-19

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2005 (फाल्गुन 23, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रथम चक्र में 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये तथा द्वितीय चक्र में किसी भी प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 90 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 93 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नोत्तर सूची में से सदस्यों के नाम पुकारे जाने के बाद भी प्रश्नोत्तर के लिए नियत समय समाप्त नहीं हुआ फलत: कार्यसूची के अनुसार अगला विषय लिया गया।

(श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश के जिलों में कलेक्टरों की नियुक्ति रिश्वत देकर किये जाने संबंधी मामले पर माननीय मुख्यमंत्री से वक्तव्य देने की मांग की)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने जिला श्योपुर में वर्तमान में विद्युत प्रदाय एवं कम वोलटेज में बिजली मिलने से किसानों में रोष होने,

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले में नकली खाद का खुले आम विक्रय किये जाने,

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने मुरैना जिले के विद्युत वितरण केन्द्र बागचीनी में कम वोलटेज पर विद्युत प्रदाय होने,

(4) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य ने मंडला जिले के क्षेत्रीय जनता द्वारा मनेरी सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की मांग की जाने,

(5) पंडित रमेश दुबे, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के चौरई विधानसभा क्षेत्र में शिक्षकों/व्याख्याताओं के रिक्त पद भरे जाने,

(6) श्री रामदास उईके, सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों का जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने में अनियमितता होने,

(7) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने प्रदेश में संविदा शिक्षकों की 30 अप्रैल, 2005 से सेवाएं समाप्त किये जाने, तथा

(8) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के ग्राम सुमावली जाने वाली विद्युत लाईन चोरों द्वारा काटी जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. सुनीलम्, सर्वश्री रामलखन शर्मा, बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य ने बैतूल जिले के मुलताई स्थित जनपद कार्यालय में क्षेत्रीय विधायक के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री रामलखन शर्मा, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के सदस्य प्रदेश में माननीय विधायकों के साथ अभद्र व्यवहार होने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(डॉ. सुनीलम्, श्री नारायण त्रिपाठी, श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा, श्री अर्जुन पलिया, श्री कृष्णकुमार सिंह, कुंवर विजय बहादुर सिंह बुन्देला, प्रदेश में माननीय विधायकों के साथ हो रहे अभद्र व्यवहार के विरोध में गर्भगृह में आये)

(श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य "प्रदेश में माननीय विधायकों के साथ हो रहे अभद्र व्यवहार "के मामले पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

(समाजवादी पार्टी, गोडवाना गणतंत्र पार्टी एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य "प्रदेश में माननीय विधायकों के साथ हो रहे अभद्र व्यवहार" के मामले पर विरोध में गर्भगृह में आकर धरने पर बैठ गये)

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य ने सागर जिले के घाटमपुर ग्राम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों पर हमला करने वालों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 2005 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा हेतु समय निर्धारित करने की सिफारिश की है -

क्रमांक	विधेयक का नाम	निर्धारित समय
1.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 1 सन् 2005)	30 मिनट
2.	मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2005)	30 मिनट
3.	मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 5 सन् 2005)	30 मिनट
4.	मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास विधेयक, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2005)	1 घन्टा

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री हिम्मत कोठारी, सभापति ने प्राक्कलन समिति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री मधुकर हर्णे, सभापति ने प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री छत्रपती सिंह, सदस्य की सीधी जिले के -

(क) ग्राम भदौरा स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम पुरानी देवसर के पूर्वी टोला में विद्युतीकरण कराये जाने,

(ग) ग्राम बंजारी में छात्रावास खोले जाने,

(घ) ग्राम वस्तुआ में तालाब का निर्माण कराये जाने,

(ङ) ग्राम वस्तुआ में सहकारी बैंक की शाखा खोले जाने, तथा

(च) ग्राम टमसार स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(2) श्री नानाभाऊ मोहोड़, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम लोधी खेड़ा से रेमंड तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(ख) छिन्दवाड़ा-नागपुर सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(3) ठाकुर सोबरन सिंह "बाबूजी", सदस्य की जबलपुर जिले के -

(क) ग्राम बेलखेड़ा में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(ख) ग्राम नुनसर में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(ग) ग्राम कटरा बेलखेड़ा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(घ) ग्राम आरछा से जबलपुर रोड तक सड़क बनाये जाने,

(ङ) ग्राम जरौन से पाटन रोड तक सड़क बनाये जाने,

(च) ग्राम सिमरिया से पाटन तक सड़क बनाये जाने, तथा

(छ) ग्राम चरगवां में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(4) श्री झनकलाल ठाकुर, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम लोटिया में हाई स्कूल खोले जाने,

(5) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य की सतना जिले के ग्राम हिनौती में मुख्य नहर के रिसाव को रोकने हेतु नाली बनाये जाने,

(6) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य की बालाघाट जिले के -

(क) सलघट-मानेगांव मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) ग्राम परसामऊ से पाण्डूतला तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) बिरबा हवाई पट्टी चौक से गांधी चौक बैहर तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(घ) ग्राम दमोह में कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला खोले जाने,

(ङ) ग्राम गढ़ी में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(च) ग्राम मोहगांव में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,

(छ) ग्राम गढ़ी को उप तहसील बनाये जाने, तथा

(ज) मोहगांव-बम्हनी मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(7) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल शहर के-

(क) वार्ड क्र.5 से बस स्टैंड तक बस चलाये जाने,

(ख) वार्ड क्र.-42 की सड़कों का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) वार्ड क्र. 42 में भैसों की डेरी वाला रोड का डामरीकरण कराये जाने,

(घ) शाहजहांनाबाद स्थित प्रायमरी स्कूल की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने,

(ङ) वार्ड क्र. 42 स्थित कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने, तथा

(च) विनोबा भावे कालोनी में मकानों का नवीनीकरण कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई।

7. घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि उन्हें मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा नियमावली के नियम 65 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर उक्त विधेयक को आज ही सदन में पुर:स्थापित करने तथा उस पर विचार किये जाने की अनुमति प्रदान की है.

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने मध्यप्रदेश कृषि उपज-मण्डी (संशोधन) विधेयक ,2005 (क्रमांक 5 सन् 2005) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2005 (क्रमांक 3 सन् 2005) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे
(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(समाजवादी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तथा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी के गर्भगृह में धरने पर बैठे सदस्य श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के अनुरोध पर वापस अपने अपने आसन पर चले गये)

(3) श्री रामनिवास रावत
(4) श्री अजय विश्नोई
(5) श्री रामलखन शर्मा
(6) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(7) डॉ. आई.एम.पी.वर्मा
(8) श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री राघवजी, वित्तमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3, तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2005 (क्रमांक 3 सन् 2005) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कृषि उपज-मण्डी (संशोधन) विधेयक ,2005 (क्रमांक 5 सन् 2005) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री शंकर लाल तिवारी

श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कृषि उपज-मण्डी (संशोधन) विधेयक ,2005 (क्रमांक 5 सन् 2005) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

9. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदनको सूचित किया गया कि कर देने के संबंध में लोगों में जन जागृति पैदा करने तथा कर के संबंध में भ्रातियां दूर करने के उद्देश्य से माननीय विधायकों से आय-कर विभाग के अधिकारियों का संवाद स्थापित करने की दृष्टि से आडिटोरियम हाल में दिनांक 15-03-2005 को अपरान्ह 1.00 बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया हैं.

कृपया उपर्युक्त अनुसार आयोजन में सम्मिलित होने का कष्ट करें.

2.20 बजे विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2005 (फाल्गुन 24, 1926) के पूर्वान्ह 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.